न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 15/15 तारीख रजू 27/07/15

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. लदूराम माहेश्वरी पुत्र श्री बालकिशन माहेश्वरी निवासी वेयर हाउस कालोनी पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर मैसर्स–लादूराम बालकिशन बजरिया पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर (विक्रेता) पुलिस थाना मानटाउन।

2. मदन मोहन गर्ग पुत्र श्री कल्याण गर्ग निवासी हायर सैकण्डरी स्कूल के पास शहर सवाई माधोपुर पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर मैसर्स मदन मोहन इण्डस्ट्रीज हायर सैकण्डरी स्कूल के पास शहर सवाई माधोपुर पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर (थोक विक्रेता) पुलिस थाना कोतवाली स0मा0।

3. योगेश जैन पुत्र श्री ललीत कुमार जैन मैसर्स –खुशबू टी कम्पनी बी 23 ईस्लाम स्केल इण्डस्ट्रीज एरिया डी0सी0एम रोड कोटा एवं पो0 एवं जिला कोटा (निर्माता फर्म मालिक) पुलिस थाना इण्डस्ट्रीयल कोटा। – अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 3.5.15

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 07/05/2014 को 02:30 पी.एम. पर दौराने गश्त मैसर्स लादूराम बालकिशन बजरिया पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर पर पहुँचा वहां पर लादूराम पुत्र श्री बालकिशन (मालिक एवं खाद्य करोबारकर्ता) निवासी–वेयर हाउस कालोनी पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तथा तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण किया परिसर में खाद्य पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) 100मि0ली0 के कार्टुन पैक में विक्रय हेतु रखे थे। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) जो कि लगभग 24 पैकिटों की मात्रा में रखी हुई थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति वाद में प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिती में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम (वार्ड बॉय) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2014/842 दिनांक 29/05/2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/कोटा/2014/162 दिनांक 23/05/2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) अनसेफ पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट से विक्रेता संतुष्ट नहीं होने के कारण विक्रेता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील की जिस पर नमुने के द्वितीय भाग को रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद में जांच हेतु भिजवाया गया था,जिसका जांच सर्टिफिकेट निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री गाजियाबाद की सर्टिफिकेट सं0 657/oct/14-RAJ Date

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

13-10-2014 संलग्न कर दी गई के अनुसार विक्रता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाघ पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)**(zx)$3(1)(zf)** के अनुसार सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में विक्रेता द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति के खाघ पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) का विक्रय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है ।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्न तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व वकील अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति के खाघ पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है, तथा अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) पर यूज फोर पूजन साम्रगी लिखा हुआ था तथा पूजन साम्रगी में प्रसाद का निर्माण भी होता है जो एक खाद्य पदार्थ है। अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त वकील सं0 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अभियुक्त सं0 1 निर्माता नहीं है। उसके द्वारा खाघ पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) का पैक ही बेचान किया जाता है। अतः हमारा कोई दायित्व नहीं है तथा अभियुक्त वकील सं0 2 व 3 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त खाघ पदार्थ खाघ विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट एफएसएसएल/कोटा/2014/162 दिनांक 23/05/2014 के अनुसार अनसेफ तथा रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जांच सर्टिफिकेट सं0 657/**oct/14-RAJ Date 13-10-2014** के अनुसार सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया तथा उक्त खाघ पदार्थ के रेफर पर यूज फोर हवन पूजन लिखा हुआ था यानि उक्त नमूना लिया गया वनस्पति केवल हवन पूजन के उपयोग किये जाने योग्य था, जिसका आवेदन द्वारा नमूना लेकर गलत कार्यवाही की गई है। आवेदक द्वारा दौराने जांच दो स्वतन्त्र गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये ना हि उक्त संबंध में कोई कारण बताया है। एक्ट के तहत केवल खाने वाली वस्तुओं का ही नमूना लिया जा सकता है अन्य खाघ पदार्थ का नही, साथ ही अप्रार्थी ने धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) की कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाघ विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/कोटा/2014/162 दिनांक 23/05/2014 के अनुसार अनसेफ तथा रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जांच सर्टिफिकेट सं0 657/**oct/14-RAJ Date 13-10-2014** के अनुसार सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया है, साथ ही अभियुक्त ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त खाद्य पदार्थ पर यूज फोंर हवन पूजन लिखा गया था उक्त कम में मै आवेदक के कथन से सहमत हूँ ,जिसके अनुसार पूजन सामग्री में प्रसाद का निर्माण भी होता है जो एक खाद्य पदार्थ है।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति के खाघ पदार्थ वनस्पति (कृष्णा) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त सं0 1 लगायत 3 को पृथक–पृथक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

रूप से 30,000–30,000 रूपये (तीस – तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर